भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएं

राजस्व (ग्रुप-8) विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, अगस्त 20, 1985

संख्या एफ. 2(5)राज/8/85--चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखलाई गई वन भूमि तथा बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा उसके किसी अंश की स्वत्वधारी (एन्टाईटल्ड) है।

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन भूमि तथा बंजर भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29, उप-धारा (1) के अन्तर्गत संरक्षित वन (प्रोटेक्टेड फोरेस्ट्स) घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकारी या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के सम्बन्ध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है परन्तु चूंकि उन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचाने की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 का एक्ट सं. 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटिलमेन्ट आफिसर, असिस्टेंट सेटिलमेन्ट आफिसर को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन यथासाध्य उसी प्रणाली में किया जायगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 9, 11 (1); 12, 13, 14, 10, 18 तथा 19 में प्रावहित है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 उप-धारा (3) के परन्तुक प्रवेश द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा संरक्षित वन प्रोटेक्टेड फोरेस्ट्स घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके साथ संलग्न अनुसूची में अंकित किये गये है राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित रिजर्व्ड है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों का हटाया जाना अथवा चुना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहीत किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का सामान बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशु पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची—वन भूमि और बंजर भूमि।

द्वितीय अनुसूची—संरक्षित वृक्ष।

ए० के० श्रीवास्तव
उप वन संरक्षक
अलवर (राज०)

क्र. सं.	नाम वन खण्ड	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	
							बीघा	बिस्वा
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	हाजीपुर डडीकर	अलवर	अलवर	उत्तर-तेहरपुर धामी किराकी	डडीकर	1	·68	08
				पूर्व-ग्राम सीमा टोडियार		455	67	00
				दक्षिण-रुपडडीकर		458	75	07
				पश्चिम-हाजीपुर डडीकर राधं		459	52	00
						469	166	07
						483	43	09
						484	21	19

"	"	उत्तर–भारखानी पूर्व–गाम नाल उदनवास वडोंद. दक्षिण–शाहजापुर डिस.	वडोंद	1193	–	09
				1921	93	15
				1924	136	18
				1781	19	14
				1782	22	08
				1783	18	10
				3268	72	09
			भाटजानी	354	70	16
				359	2	04
			योग	2	74	00
			कुल योग	9	438	05

ए० के० श्रीवास्तव
उप वन संरक्षक
अलवर (राज०)

[illegible] [illegible]

ग्राम जोरावरसिंहपुर तहसील बहरोड (13)

खसरा नं.(?)	रकबा	किस्म भूमि(?)
२४५	१-४१५/३	गैर मुमकिन पहाड़

ए० के० श्रीवास्तव
उप वन संरक्षक
अलवर (राज०)